



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

23 Bhadra, 1942 (S)

No. 437

Ranchi, Monday, 14th September, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Removal of Difficulties Order No.01/2020-State Tax

s.O. No. 77, Dated 14th September, 2020 - WHEREAS, sub-section (2) of section 29 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the said Act) provides for cancellation of registration by proper officer in situations described in clauses (a) to (e) as under: -

- (a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or
- (b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or
- (c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or
- (d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or
- (e) registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts:

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 169 of the said Act provides for service of notice (opportunity of being heard); clauses (c) and (d) of said sub-section are as under: -

.....

(c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or

(d) by making it available on the common portal; or

.....;

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 30 of the said Act provides for application for revocation of cancellation of the registration within thirty days from the date of service of the cancellation order;

AND WHEREAS, sub-section (1) of section 107 of the said Act provides for filing appeal by any person aggrieved by any decision or order passed by an adjudicating authority within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person and sub-section (4) of section 107 of the said Act empowers the Appellate Authority that it may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of one month;

AND WHEREAS, a large number of registrations have been cancelled under sub-section (2) of section 29 of the said Act by the proper officer by serving notices as per clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 169 of the said Act and the period of thirty days provided for application for revocation of cancellation order in sub-section (1) of section 30 of the said Act, the period for filing appeal under section (1) of section 107 of the said Act and also the period of condoning the delay provided in sub-section (4) of Section 107 of the said Act has elapsed; the registered persons whose registration have been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act are unable to get their cancellation of registration revoked despite having fulfilled all the requirements for revocation of cancellation of registration; the said Act being a new Act, these taxpayers could not apply for revocation of cancellation within the specified time period of thirty days from the date of service of the cancellation order, as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (1) of section 30 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely: --

1. **Short title.**-This Order may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2020.-

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating the period of thirty days for filing application for revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the Act for those registered persons who were served notice under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 in the manner as provided in clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 169 and where cancellation order was passed up to 12th June, 2020, the later of the following dates shall be considered:-

- a) Date of service of the said cancellation order; or
- b) 31st day of August, 2020.

3. This Order shall be deemed to be effective from 25th June, 2020.

File No- Va0 Kar/GST/07/2020-

Vandana Dadel,

Secretary,
Commercial Taxes Department.

वाणिज्य-कर विभाग

कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश सं. 01/2020- राज्य कर

एस. ओ. सं. 77, दिनांक 14 सितम्बर, 2020 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्त 'सीजीएसटी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 29 की उप-धारा (2), खंड (क) से खंड (ड) में वर्णित परिस्थितियों में उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का उपबंध करती है जो इस प्रकार से है, जहां : -

- (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किए जाएं; या
- (ख) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
- (ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या
- (घ) किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारम्भ नहीं किया है; या
- (ड) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

और, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) नोटिस की तामील (सुनवाई का अवसर) के लिए उपबंध करती है; उक्त उप-धारा के खंड (ग) और (घ) निम्न प्रकार से हैं :-

- (ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा; या
- (घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या

और, धारा 30 की उप-धारा (1) रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए उपबंध करती है।

और, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के द्वारा, उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील फ़ाइल करने का उपबंध करती है और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) अपील प्राधिकारी को सशक्त करती है कि, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, अपीलकर्त्ता तीन मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने

से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो, वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

और, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा नोटिस तामील के द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीकरण रद्द हुए हैं और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में रद्दकरण आदेश के प्रतिसंहरण के लिए उपबंधित तीस दिन की अवधि, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फ़ाइल करने की अवधि और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (4) में विलंब के लिए क्षमा की अवधि भी व्यपगत हो गई है; रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके रजिस्ट्रीकरण सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन रद्द हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बावजूद अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कराने में असमर्थ हैं। जी एस टी के एक नया अधिनियम होने के चलते, ये करदाता रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फ़ाइल के विनिर्दिष्ट समय अवधि, जो रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर है, में नहीं कर पाये हैं, जिसके परिणामस्वरूप सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं;

अतः अब, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम** - इस आदेश का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2020 है।
2. कठिनाइयों को दूर करने हेतु, यह इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फ़ाइल करने के लिए तीस दिन की अवधि की गणना हेतु, वे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और 12.06.2020 तक रद्दकरण आदेश पारित हुआ है, के लिए निम्नलिखित तिथियों में से उत्तरवर्ती तिथि को माना जाएगा:-

क) उक्त आदेश के संचार की तारीख; या

ख) अगस्त का 31 वाँ दिन

3. यह आदेश 25 जून, 2020 से लागू मानी जाएगी।

संचिका संख्या-वा0कर/GST/07/2020,

वंदना दादेल,

सचिव, वाणिज्य-कर विभाग